

**अत्यावश्यक**  
**नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन,**  
**2025**



**राज्य निर्वाचन आयोग,**  
**बिहार**  
**STATE ELECTION COMMISSION,**  
**BIHAR**

पत्रांक - न.नि. 50-05/2025 - 2689

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।  
बाँका, बक्सर, गया, सारण एवं सिवान।

पटना, दिनांक - 12.06.25

**विषय : नगरपालिका उप निर्वाचन, 2025 - वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मजदूर जैसे मतदाता द्वारा सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से e-voting System का उपयोग करने हेतु दिशा निर्देश।**

**प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा विभिन्न कारणों से नगरपालिकाओं के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने का निदेश दिये गये हैं। जिसमें मुख्य रूप से नगर परिषद, बाँका, नगर परिषद, बक्सर, नगर परिषद, बोधगया, नगर पंचायत, खिजरसराय (गया), नगर पंचायत, एकमा बाजार (सारण) तथा नगर पंचायत, मैरवा (सिवान) जिसमें सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है,

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZA एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 2(90) सहपठित धारा-14 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का दायित्व है।

उक्त आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता के साथ निर्वाचन कराये जाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। इस हेतु विगत निर्वाचन में कई नवाचार यथा- शत-प्रतिशत डिजीटाईजेशन, मतदान केन्द्र पर मतदाताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन. एफ.आर.एस. का उपयोग, बज्रगृह में डिजिटल लॉक का उपयोग, मतगणना में ए.आई. (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस) आधारित सफ्टवेयर ओ.सी.आर. (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन) का उपयोग किया गया है। जिससे निर्वाचन जैसे संवेदनशील विषय में दूरगामी प्रभाव पड़ा है तथा मतदाताओं के बीच विश्वसनीयता बढ़ी है। इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मजदूर जैसे मतदाता शारीरिक रूप से मतदान केन्द्र पर आने में अक्षम हैं, मतदान में उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सुगमतापूर्वक यथास्थान मतदान e-voting System के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। यह

पूर्णतः स्वैच्छिक (Voluntary) विकल्प है। ई.वोटिंग प्रक्रिया द्वारा मतदान करने का चयन करने हेतु मतदाता द्वारा अपना Consent दिया जायेगा। उसके बाद ही वे इसमें भाग ले पायेंगे।

उल्लेख करना अनिवार्य है कि ई.वोटिंग प्रणाली का उपयोग नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त भारत वर्ष में प्रथम वार की जा रही है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। वर्तमान में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या का 10 प्रतिशत द्वारा ई.वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग में लाये जाने की संभावना है।

मतदान का प्रतिशत बढ़ाने एवं प्रत्येक मतदाता को उनके मत का मूल्य पहचानने के लिए सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 85 में नगरपालिका निर्वाचन हेतु ई.वी.एम. एवं ई.वोटिंग द्वारा मतदान करने का प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् है :-

**Rule 85 (2) e-voting-** In case of use of electronic devices, other than electronic voting machines, such as laptops, palmtops, android/ IOS based Smart Phone, servers etc; voting, recording and counting of votes, recorded voting stored on the server procedure of encrypted security for locking by use and declaration of result will be specified by the State Election Commission.

Provided that as far as practicable, where electronic devices, other than electronic voting machines will be used for voting. a hard copy of all the data shall be made in the same manner as the data relating to different candidate is displayed in the server and on that copy, and the signatures of all the present candidates or their Election Agent and Returning Officer will be kept in a gauzed envelope. At the same time the said data will also be copied to the external hard disc in an uneditable format. The signed hard copy and the copied hard-disc together with the secret seal specially supplied by the State Election Commission to each Returning Officer shall be kept in the custody of the District Returning Officer. The custody and destruction of the said seal envelope will be done under rule 89. The secret seal supplied by the Commission will be returned to the Commission without fail within 36 hours of the declaration of the election result.

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कई मतदाता विभिन्न कारणों से अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं, जिससे आयोग द्वारा इतनी सुदृढ़ व्यवस्था के बावजूद मतदान के प्रतिशत में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाती है। कोई भी मतदाता जैसे - वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं अप्रवासित मतदाता जैसे मजदूर अपने मताधिकार से वंचित न हो, इसी उद्देश्य से सुविधा प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा ई.वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। इस हेतु प्राथमिक रूप से लक्षित समूह निम्नवत् हैं:-

1. वृद्ध मतदाता - मतदाता सूची के अनुसार 80+ आयु के मतदाता (मतदाता सूची के अनुसार)
2. दिव्यांग मतदाता - वैसे मतदाता जो अस्थि विकलांग हैं एवं उन्हें सिविल सर्जन के स्तर से प्रमाण-पत्र प्राप्त है।
3. असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता - वैसे मतदाता जो असाध्य रोग यथा लकवा, कैंसर पीड़ित, पूर्ण विकलांग अथवा दुर्घटना आदि के कारण शय्या पर हो एवं मान्यता प्राप्त अस्पताल का इलाज संबंधी पर्ची/प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
4. गर्भवती महिला मतदाता - वैसे गर्भवती महिला मतदाता जो चलने में असमर्थ हों एवं गर्भवती होने का प्रमाण/पुर्जा उपलब्ध हो।
5. अप्रवासी मतदाता - वैसे मतदाता जो सरकारी/निजी कम्पनी में कार्यरत हो एवं मतदान के दिन उनका कार्यालय उक्त निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परिचय पत्र उपलब्ध हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मतदाता भी इच्छानुसार निबंधन करा सकते हैं परन्तु उपरोक्त 5 श्रेणियों के मतदाता को प्राथमिकता दी जायेगी।

ई.वोटिंग के संचालन में मुख्य रूप से निम्न तकनीकी एवं कानूनी पहलूओं का अनुपालन किया गया है :-

1. Data Storage
2. Data Security & Privacy
3. Data Retention Policy
4. Secrecy of vote
5. IT Act & DPDP Act, 2023

मतदान के निमित्त मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करना अथवा जो मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने में अक्षम हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ई.वोटिंग प्रणाली का चुनाव (Opt) कर मत देने की सुविधा दी गई है। उल्लेखनीय है कि ई.वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना स्वैच्छिक (Voluntary) है। ई.वोटिंग प्रणाली का चुनाव (Opt) करने पर उन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाकर मत देने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

ई.वोटिंग द्वारा मतदान करने के संबंध में जानकारी समाचार पत्र एवं सोशल मिडिया के माध्यम से तथा निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा दी जायेगी।

ई.वोटिंग के कार्यकलाप में मुख्यतः तीन अवयव हैं -

1. मतदाता का निबंधन (Registration)
2. ई.वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान करना; तथा
3. प्राप्त मतों की मतगणना।

उपरोक्त कार्य में मुख्यतः निम्न हितकारक (Stakeholder) हैं:-

1. मतदाता;
2. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी;
3. निर्वाची पदाधिकारी;
4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका);
5. राज्य निर्वाचन आयोग।

मतदाता द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधन दिनांक 13.06.2025 से आरम्भ होगा जो दिनांक 22.06.2025 तक किया जा सकेगा। मतदान हेतु निर्धारित तिथि यानि दिनांक 28.06.2025 को प्रातः 7.00 बजे अपराह्न 1.00 बजे तक ई.वोटिंग द्वारा मतदान किया जायेगा।

मतदाता द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधन करने के उपरान्त निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत (Accept) किया जायगा। मतदाता द्वारा अपलोड किये गये वांछित दस्तावेज/प्रतिवेदन सही नहीं पाये जाने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत (Reject) किया जायेगा। दोनों ही स्थिति में मतदाता का उनके मोबाईल पर एस.एम.एस द्वारा सूचना प्राप्त होगा।

मतदान पूर्व निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित मतपत्र को सत्यापित कर मतदान हेतु निर्गत किया जायेगा। मतदान तिथि को ई.वोटिंग प्रणाली प्रक्रिया का डैश बोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा। जिसमें निबंधित मतदाता द्वारा मत दिया जा रहा है अथवा नहीं, VTR आदि है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ई.वोटिंग हेतु चयनित मतदाता की सूची निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर ई.वोटिंग प्रणाली के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

● मतदाता द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधन (Registration)

1. निबंधन हेतु पात्रता -

- (क) वृद्ध मतदाता
- (ख) दिव्यांग मतदाता
- (ग) असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता
- (घ) गर्भवती महिला मतदाता
- (ङ) अप्रवासी मतदाता
- (च) अन्य

**नोट :** उपरोक्त कंडिका (ख) से (ङ) तक के श्रेणी के मतदाता द्वारा निबंधन करने हेतु संबंधित दस्तावेज/प्रतिवेदन अपलोड किया जायेगा।

2. मोबाईल का मॉडल एवं विशिष्टियाँ -

एन्ड्रॉइड स्मार्ट फोन, संस्करण 5.0 (लॉलीपॉप) या उससे ऊपर, आन्तरिक मेमोरी 100 MB, न्यूनतम, रैम 2 जी.बी. न्यूनतम, फ्रन्ट कैमरा 2 MP या उससे ऊपर, मोबाईल में सक्रिय सिम कार्ड, 4जी इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध तथा मोबाईल का बैटरी चार्ज हो।

3. प्रक्रिया -

- ◆ सर्वप्रथम मोबाईल फोन के माध्यम से खोज (Search) कर Play Store ([https://play.google.com/store/apps/details?id=ser.dhanu.sec\\_evoting](https://play.google.com/store/apps/details?id=ser.dhanu.sec_evoting)) के साथ-साथ आयोग के वेबसाईट [sec.bihar.gov.in](http://sec.bihar.gov.in) से **EVoting (SEC BIHAR) app** डाउनलोड किया जा सकता है।
- ◆ पंजीकरण से पहले मतदाता को ई.वोटिंग प्रक्रिया के लिए अपना 'सहमति' (Consent) हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक कर Agree/सहमति बटन क्लिक करेंगे।
- ◆ e-voting app खोलने के बाद ई.वोटिंग 'पंजीकरण' शीर्षक कर क्लिक करेंगे।
- ◆ इसके बाद मतदाता खोज हेतु दो विकल्प यथा- 1. मतदाता पहचान संख्या (EPIC) से खोज तथा 2. नाम एवं विवरण से खोज। दोनों विकल्पों में से किसी एक का चयन करने तथा आवश्यक सूचना प्रविष्ट करने के उपरान्त मतदाता का खोज करना है। जिससे मतदाता का विवरण स्क्रीन पर दिखेगा तब आगे निबंधन करने हेतु मतदाता अपना मोबाईल संख्या प्रविष्ट करेंगे जिससे OTP प्राप्त होगी।
- ◆ प्राप्त OTP को प्रविष्ट कर "Verify" बटन पर क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात ड्रॉपडाऊन मेनू से ई.वोटिंग हेतु पात्रता का चयन करेंगे।
- ◆ यहाँ पर ई.मेल प्रविष्ट करने का प्रावधान है, जो वैकल्पिक है।
- ◆ मतदाता के पात्रता से संबंधित कंडिका (ख) से (ङ) तक के श्रेणी के मतदाता द्वारा निबंधन करने हेतु संबंधित दस्तावेज/प्रतिवेदन जो 1 MB से कम का पी.डी.एफ. में होगा, उसे अपलोड किया जायेगा। शेष के लिए संबंधित दस्तावेज/प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।
- ◆ Next बटन क्लिक कर बढ़ने पर मतदाता द्वारा सेल्फी द्वारा अपना फोटो निर्धारित पैटर्न के अन्दर रखते हुये Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात मतदाता सत्यापन हेतु VERIFY बटन पर क्लिक करेंगे।
- ◆ Submit को पुष्टि करने के लिए "Yes Sure" बटन क्लिक करने पर पंजीकरण हो जायेगा।
- ◆ पंजीकरण की पुष्टि मतदाता को मोबाईल के स्क्रीन पर तत्क्षण दिखेगा तथा सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त होगी।

- ◆ एक मोबाईल पर अधिकतम दो मतदाता का रजिस्ट्रेशन होगा।
- ◆ एक मतदाता के ई.वोटिंग निबंधन के उपरान्त दूसरे मतदाता के लिए पुनः नये मतदाता पहचान पत्र (EPIC) की प्रविष्टि कर पुनः उसी प्रक्रिया से निबंधन की जा सकती है।
- ◆ **ध्यातव्य** – जिस मोबाईल तथा मोबाईल संख्या से रजिस्ट्रेशन किया जायेगा उसी मोबाईल तथा मोबाईल संख्या के माध्यम से ही मतदान किया जा सकेगा।
- **निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति**
- ◆ मतदाता द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधन करने के उपरान्त निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत (Accept)/अस्वीकृत (Reject) किया जायेगा। मतदाता द्वारा अपलोड किये गये वांछित दस्तावेज/प्रतिवेदन नहीं होने पर ऐसे आवेदन को बी.एल.ओ. अथवा स्थानीय पदाधिकारी से जाँच के प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत (Accept)/अस्वीकृत (Reject) करने का निर्णय लिया जायेगा। दोनों ही स्थिति में मतदाता का उनके मोबाईल पर एस.एम.एस द्वारा सूचना प्राप्त होगा।
- ◆ इन्टरनेट की सुविधा सुचारू रहे, इस हेतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर इन्टरनेट सेवा प्रदाता, यथा BSNL, JIO, Airtel आदि के साथ बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।
- ◆ एप्प के माध्यम से मतदाता अपना पंजीयन की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं।
- **ई.वोटिंग हेतु निबंधन उपरान्त निबंधित मतदाता सूची चिह्नित होने के उपरान्त मतदाता सूची का मुद्रण**
- ◆ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ई.वोटिंग हेतु निबंधित मतदाताओं की स्वीकृति उपरान्त चिह्नित मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार किया जायेगा जिसे मुद्रण कराकर संबंधित पीठासीन पदाधिकारी को मतदान कार्य सम्पन्न कराने के निमित्त दिनांक 26.06.2024 को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- ◆ ई.वोटिंग विकल्प का चयन करने वाले मतदाता को मतदाता सूची में चिह्नित किया गया है। इस आशय से पीठासीन को प्रशिक्षण के क्रम में अवगत करा दी जायेगी।

## मतदान के दिन

### ● मतदान हेतु पहचान की प्रक्रिया

- ◆ रजिस्टर्ड मोबाईल पर पूर्व से डाउनलोड किये गये एप के माध्यम से मतदान किया जायेगा।
- ◆ EPIC No. एवं मोबाईल संख्या प्रविष्टि करने पर OTP प्राप्त होगा जिसकी पुष्टि होने पर मतदान प्रक्रिया आरम्भ होगी।
- ◆ सर्वप्रथम मतदाता अपना फोटो निर्धारित प्रक्रिया द्वारा लेंगे जिससे Live face Scan होगा तथा पूर्व निबंधित फोटो से मिलान (Liveness Test) होगा। इसके बाद "Submit" बटन पर क्लिक करेंगे। पुष्टि होने के बाद "Next" बटन पर क्लिक करेंगे।

### ● ई.मतपत्र प्राप्त करने एवं मतदान की प्रक्रिया

- ◆ नगरपालिका उप निर्वाचन अन्तर्गत मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद पद हेतु मतदान होना है। केवल बक्सर नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद के अतिरिक्त वार्ड संख्या 20 में पार्षद पद के लिए भी मतदान होना है। नगर परिषद बक्सर के मामले में मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी पद विशेष के मत को Skip भी कर सकते हैं। मोबाईल में Skip का Option चुनने के पश्चात आप उस पद विशेष के लिए पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं।
- ◆ ई-मतपत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के नाम के सामने निर्वाचन प्रतीक के पास स्थित ऑप्शन को चुनने के पश्चात

Save बटन पर क्लिक करेंगे।

- ◆ मतदाता द्वारा दिये गये मत की पुष्टि Confirm करने एवं आश्चस्त होने के लिए वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की भाँति ई-मतपत्र पर डाले गये गये डिजिटल मत प्रदर्शित होगा।
- ◆ मतदान पूर्ण होने की सूचना मोबाईल के स्क्रीन पर भी दिखेगा तथा इसकी सूचना SMS के माध्यम से भी मतदाता को प्राप्त होगा।

### ● दिये गये मत की सुरक्षा –

- ◆ दिये गये मत की सुरक्षा Block Chain प्रणाली के साथ-साथ दोहरी कूटलेखन (Dual Encryption) द्वारा होगी। जिससे दिये गये मत की पूर्ण गोपनीयता अपरिवर्तनीय, फुलप्रुफ तथा छेड़छाड़ रहित होगी।
- ◆ मतदान के दिन जिस प्रकार मतदाताओं की उपस्थिति मतदान केन्द्र पर दर्ज होती है उसी प्रकार ई.वोटिंग प्रणाली के उपयोग किये गये मतदाता की उपस्थिति विवरणी (ई.वोटिंग प्रणाली का उपयोग करने वालों की सूची) डैशबोर्ड के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी को ज्ञात होगा कि किस मतदाता द्वारा मतदान किया गया। परन्तु किस अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया है इसकी जानकारी किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

### ◆ मत की गोपनीयता – मतदाता द्वारा दिये गये मत की गोपनीयता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी मतदाता की होगी।

- ◆ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 458 में प्रावधान निम्नवत् है :-  
धारा 458 - मतदान की गोपनीयता बनाए रखना – (1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

- ◆ ई.वोटिंग के माध्यम से मतदान के के उपरान्त यदि कोई मतदाता पुनः मतदान केन्द्र पर मत देने प्रयास करता है तो उसे FRS (Face Recognition System) के माध्यम से पकड़ लिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं अन्य की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
- ◆ Cyber Cafe द्वारा मतदान के दिन ई.वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित गड़बड़ी करते हुए पाये जाने के स्थिति में उनके विरुद्ध Cyber Act के साथ-साथ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं अन्य की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
- ◆ साथ ही **BharatiyaNayaySanhita,2023 (BNS) and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023** एवं भी निम्नवत् लागू होगा :-
  - ◆ Relevance: Sections of the BharatiyaNayaySanhita,2023 (BNS) related to cheating (section 318), impersonation (section 319), and tampering with records are applicable to the misuse or fraudulent use of e-voting systems.
  - ◆ Enforcement: Violations related to e-voting can be prosecuted under the BNS and BNSS with penalties for those found guilty of tampering with election data or systems.

● **मतगणना की प्रक्रिया**

- ◆ मतगणना की निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर ही ई.वोटिंग का पोर्टल खोले जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की गई है। उससे पूर्व उसे किसी भी स्थिति में खोला नहीं जा सकेगा। जिस प्रकार वज्रगृह में मतदत्त ई.वी.एम. सुरक्षित रहता है उसी प्रकार ई.वोटिंग से दिया गया मत सुरक्षित रहेगा।
- ◆ मतगणना के दिन सर्वप्रथम ई.वोटिंग से प्राप्त मतों की गणना होगी।
- ◆ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर/Google Authentication/Aadhaar based Authentication से ई.वोटिंग पोर्टल को खोला जायेगा।
- ◆ उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के समक्ष ई.वोट के माध्यम से अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की गणना एवं उद्घोषणा की जायेगी।
- ◆ ई.वोटिंग से वार्डवार प्राप्त मतों की विवरणी प्रपत्र-24 (क)(1) में पी.डी.एफ. के रूप में प्राप्त होगी। जिसका प्रिन्ट लेकर निर्वाची पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे तथा मतगणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।
- ◆ हस्ताक्षरित प्रपत्र-24 (क)(1) को निर्वाची पदाधिकारी सुरक्षित रखा जायेगा।

● **अन्तिम मतगणना परिणाम**

- ◆ ई.वी.एम. से प्राप्त मतों की मतगणना सम्पन्न होने के उपरान्त प्रपत्र-24 (क)(1) ई.वोटिंग से प्राप्त मतों अभ्यर्थीवार सम्मिलित कर अन्तिम निर्वाचन परिणाम पत्र विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।
- ◆ तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र हस्तगत कराया जायेगा।

● **मतगणना उपरान्त की जाने वाली कार्रवाई**

- ◆ इसके साथ ही उक्त डेटा को अनएडिटेबल (Read Only) फॉर्मेट में डी.वी.डी. में पदवार दो प्रति में कॉपी कर ली जायेगी। उक्त ई.वोटिंग से संबंधित परिणाम पत्र की हस्ताक्षरित कॉपी को ई.वी.एम. से प्राप्त डाटा संबंधी कॉपी के साथ-साथ डी.वी.डी. को गॉज लिफाफे में बन्द कर सुरक्षित रखी जायेगी।
- ◆ उस गॉज लिफाफा पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को आपूरित सेक्रेट सील से सीलबंद कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा।
- ◆ उक्त सील बंद लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टिकरण की कार्रवाई बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 89 के अधीन की जायेगी। जो निम्नवत् हैं :-

धारा - 89 - पैकेटों का विनष्टिकरण - (1) उपर्युक्त पैकेट एक साल की अवधि तक रखे जायेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यक्षीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

2. निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात संबंधित वार्ड के लिये अगले सामान्य चुनाव सुरक्षित रखे जायेंगे एवं राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यक्षीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

● **प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता**

- ◆ चूँकि शहरी निकाय में निर्वाचन होना है, जहाँ पढ़े लिखे एवं मोबाईल फ्रेंडली मतदाता होने की संभावना है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी अभ्यर्थियों की बैठक कर ई.वोटिंग से संबंधित पूरी प्रक्रिया को समझाने तथा प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

- ◆ मतदाताओं के बीच प्रत्येक वार्ड अन्तर्गत प्रत्येक दिन निश्चित समय पर ऑडियो विडियो युक्त वाहन भेजे जायेंगे। जिसमें ई.वोटिंग से संबंधित पी.पी.टी. (स्लाईड), ई.वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित विडियो का प्रदर्शन किया जायेगा। यह कार्यक्रम वार्डवार न्यूनतम एक घंटे का होगा। रोस्टर एवं वाहन की संख्या इस प्रकार तैयार किया जाये कि प्रत्येक दिन नगरपालिका के सभी वार्ड में सम्पर्क हो सके।
- ◆ उक्त कार्य हेतु निर्वाचन से संबंधित एक पदाधिकारी, एक तकनीकी कर्मी तथा एक जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय का प्रचार-प्रसार से संबंधित कर्मी एवं एक स्थानीय बी.एल.ओ. प्रत्येक वाहन के साथ प्रतिनियुक्त की जाये। सभी प्रतिनियुक्त कर्मी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र लगा कर रखेंगे।
- ◆ इस कार्यक्रम में उपस्थित मतदाताओं का हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में संधारित किया जायेगा।
- ◆ उपस्थित मतदाताओं के बीच ई.वोटिंग से संबंधित जानकारी के साथ-साथ ई.वोटिंग एप्प पर निबंधन हेतु सहायता (Hand Holding) प्रदान की जायेगी।
- ◆ उक्त कार्यक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं होगी।
- ◆ उक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रचार-प्रसार प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिका, नुक्कड़ नाटक, बैनर, जिंगल, रैली, निर्वाचन मैराथन दौड़ इत्यादि के माध्यम से की जायेगी।
- ◆ जिला प्रशासन द्वा भी इस संबंध में अन्य रचनात्माक क्रिया-कलापों के माध्यम से ई.वोटिंग से मतदान का प्रचार-प्रसार करेंगे।

### ● हेल्प-डेस्क

ई.वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु आयोग स्तर पर एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगी।

### ● अनुश्रवण व्यवस्था

- ◆ निर्वाची पदाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर निबंधित मतदाताओं की सूची एवं जिन मतदाताओं ने ई.वोट का उपयोग कर लिया हो तो उसकी सूची पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्वाची पदाधिकारी स्तर से नोडल पदाधिकारी निबंधित मतदाताओं को दिनांक 28.06.2025 को नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ई.वोट करने हेतु दूरभाष के माध्यम से प्रेरित करेंगे।
- ◆ मतदान तिथि को डैश बोर्ड के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर ई.वोटिंग प्रक्रिया का संचालन एवं VTR का अनुश्रवण किया जायेगा।

### ● नोडल पदाधिकारी

- ◆ ई.वोटिंग संबंधी समस्य कार्यों के संचालन में निर्वाची पदाधिकारी के सहायतार्थ एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (ई.वोटिंग) की नियुक्ति की जायेगी।
- ◆ ई.वोटिंग का अनुश्रवण हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा अपर समाहर्ता स्तरीय पदाधिकारी को जिला स्तर पर तथा वरीय उप समाहर्ता स्तरीय पदाधिकारी को नगरपालिका स्तर पर एक-एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाये तथा उनके सहायता हेतु एक तकनीकी पदाधिकारी को भी संलग्न किया जाये। जिला स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के रूप में आई.टी प्रबंधक या जिला सूचना पदाधिकारी/ अभियंता को संलग्न किया जायेगा।
- ◆ आयोग स्तर से ई.वोटिंग प्रणाली के संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री शंभु कुमार, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार प्राधिकृत पदाधिकारी हैं। साथ ही तकनीकी नॉडल श्री नितीश कुमार, आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार हैं।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अतिरिक्त इस विस्तृत दिशा-निर्देश में जो अतिरिक्त अनुदेश समाहित किये गये हैं, वे सभी अनुदेश बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्ति के अधीन निर्गत है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-05/2025 - 2689

पटना, दिनांक - 12.06.25

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-05/2025 - 2689

पटना, दिनांक - 12.06.25

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, भागलपुर, मगध (गयाजी) एवं सारण प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-05/2025 - 2689

पटना, दिनांक - 12.06.25

प्रतिलिपि राज्य सूचना पदाधिकारी, एन.आई.सी., बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संबंधित जिला सूचना पदाधिकारी (एन.आई.सी.) को ई.वोटिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-05/2025 - 2689

पटना, दिनांक - 12.06.25

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न.नि. 50-05/2025 - 2689

पटना, दिनांक - 12.06.25

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

